(79)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

सगक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4122–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–11–16 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील भितरवार प्रकरण कमांक 2/15–16/अ–70.

वासुदेव पुत्र ज्वाला प्रसाद उपाध्याय
निवासी भितरवार
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– नेकसे पुत्र दुर्गाप्रसाद खटीक
निवासी वार्ड नम्बर 6
तहसील के सामने भितरवार
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर
2– नेकसिया प्रजापति
3– रामपाल प्रजापति
4– किशोरी प्रजापति
पुत्रगण चरना प्रजापति
निवासीगण भितरवार
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील भितरवार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक उसकी भूमि पर कब्जा किया हुआ है, और सीमांकन पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं

किये गये हैं, और न ही कब्जा हटाया जा रहा है, अतः कब्जा हटाया जाये । आयुक्त द्वारा प्रकरण तहसीलदार, भितरवार को कार्यवाही हेतु भेजा गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 2/15–16/अ–70 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 28–11–16 को अन्तरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जिसमें दिनांक 12–1–17 की पेशी नियत है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को कमीशन नियुक्त कर पुनः स्थल निरीक्षण कराया जाये, परन्तु उक्त आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 30/18 अनावेदक कमांक 1 की भूमि में निकाल दी गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है, यदि सीमांकन किया जाता, तब राजस्व निरीक्षक को यह ज्ञान होता कि आवेदक के पिता की मृत्यु 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है ।

तर्कों के समर्थन में 2016(2) 31 (उच्च न्या.) का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन किया गया है, और सीमांकन में अनावेदक कमांक 1 की भूमि आवेदक की कब्जे में पाई गई है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही, वैधानिक कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लम्बित रखने के उद्देश्य से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा पटवारी/राजस्व निरीक्षक को मौके की जांच के लिए कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग की गई है, जिसे तहसीलदार द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि प्रकरण में सीमांकन प्रतिवेदन संलग्न है, अतः पुनः जॉच का कोई औचित्य नहीं है । तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन पूर्व में हो चुका है, ऐसी स्थिति में पुनः जांच की आवश्यकता नहीं होने से तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 का आवेदन पत्र निरस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए तहसीलदार का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील भितरवार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर